नैक द्वारा 'बी' ग्रेड प्रत्यायित

महाराणा प्रताप महाविद्यालय

जंगल धूसड़, गोरखपुर

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

स्थापित २००५ ई.

मो. : **7897475917**, 9794299451

Website: www.mpm.edu.in

E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक : ....   दिनांक : 07.07.2021

शिक्षक आचार संहिता 2021–22

1. शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के लिए प्रतिमान बनें।
2. प्रातः 09:15 पर सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। विलम्ब से आने पर स्वयं लाल रंग की रेखा खीचकर समय डाल दें, हस्ताक्षर न करें। जाते समय हस्ताक्षर करें तथा समय डालें। तीन दिन विलम्ब होने पर एक दिन आकस्मिक अवकाश मान लिया जायेगा। शिक्षक द्वारा स्वयं इस नियम का पालन न करने पर संस्थाध्यक्ष द्वारा लाल रंग की दो रेखा खींची जा सकती है।
3. प्रार्थना सभा 09:20 से 09:40 तक चलेगी। अनुशासन व्यवस्था के अतिरिक्त सभी शिक्षक अनिवार्यतः सम्मिलित होंगे।
4. महाविद्यालय परिसर में किसी भी शिक्षक की उपस्थिति के आसपास अनुशासन की जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षकों की होगी।
5. प्लास्टिक प्रतिबंधित एवं नशा मुक्त परिसर का नियम स्वयं पर लागू करें।
6. पाठ्यक्रम योजना का शत–प्रतिशत पालन करें। 02 मई से पूर्व अगले सत्र के सभी कक्षाओं की पाठ्यक्रम योजना प्राचार्य के पास उपलब्ध करा दें।
7. प्रायोगिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम शत–प्रतिशत पूर्ण हो। प्रायोगिक कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के कक्षावार मोबाइल नम्बर रखें जायें।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपने ब्लाग पर पी.पी.टी., सारांश एवं अन्य पाठ्य सामग्री अपलोड करें।
9. प्रत्येक व्याख्यान से पूर्व पिछले व्याख्यान पर प्रश्नोत्तर का समय दें।
10. कक्षा में मोबाइल लेकर किसी भी कीमत पर न जाएं।
11. अधिकतर व्याख्यान प्रोजेक्टर पर पढ़ाएं जाएं।
12. पुस्तकालय की सभी पुस्तकें 2 मई से पूर्व प्रतिवर्ष जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। पुस्तकालय की किसी पुस्तक के बकाया होने की दशा में ग्रीष्मावकाश स्वीकृत नहीं होगा।
13. महाविद्यालय के किसी प्रकार के आर्थिक आय–व्यय, अग्रिम आदि का समायोजन 20 मार्च तक अवश्य करा लें।
14. जो दायित्त्व सौंपा जाय उसे निर्धारित समय से शत–प्रतिशत पूर्ण करें।
15. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेतु अवकाश एक दिन पूर्व स्वीकृत कराएं। अवकाश स्वीकृत कराए बिना अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर अवैतनिक अवकाश मान लिया जायेगा।
16. बचे हुए आकस्मिक अवकाश का प्रतिदिन के वेतन की दर से नकद भुगतान अगले सत्र के अगस्त माह में कर दिया जायेगा।
17. विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा में प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन आदि कार्य शिक्षक के स्वाभाविक दायित्व के अन्तर्गत आएगा, उसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा।
18. विश्वविद्यालय परीक्षा मानकानुसार/नियमानुसार सम्पन्न कराना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। अतः परीक्षा के समय शहर छोड़ते समय सूचना अवश्य दें।
19. महाविद्यालय के सभी आयोजनों, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के उद्घाटन, समापन समारोह आदि में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उचित कारण पर आकस्मिक अवकाश दिया सकता है।
20. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के समस्त आयोजनों/कार्यक्रमों में प्रबन्ध तन्त्र के निर्देशानुसार उपस्थिति एवं सहयोग अनिवार्य होगा।
21. 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित रहने पर आकस्मिक अवकाश माना जायेगा। किन्तु ध्वजारोहण में कहीं भी सम्मिलित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
22. स्वैच्छिक श्रमदान में शिक्षक प्रतीकात्मक रूप से छात्रों का प्रतिमान बनें। विद्यार्थियों को गोद लेने की योजना को भी शिक्षक स्वेच्छानुसार लागू कर सकते हैं। गोद लिये विद्यार्थियों की सूचना अवश्य दे दें।
23. समय–समय पर जारी संशोधनों एवं नये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

(प्रदीप कुमार राव)